



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-३९ / २०१६-१५५

दिनांक : ०६.०९.२०१७

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों/उद्यानों, सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यकरण तथा नये कार्यों के लिए कुल रु० 409.707 लाख (चार करोड़ नौ लाख सतर हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-३० / २०१७-२७ / स्वी० व०प० दिनांक 05.09.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०बजट-३० / २०१७-६३ / आ० व०प० दिनांक 05.09.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 409.707 लाख (चार करोड़ नौ लाख सतर हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :—

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	271.063
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	138.644
कुल :-		409.707

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601796590103 तथा पी0 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थित में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुसंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल में ऑक्सीजन पार्क, मोरहाबादी के लिए 2017-18 में नये कार्यों के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रावक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार जमशेदपुर वन प्रमण्डल के घोड़ाबंधा पार्क के लिए नये कार्यों का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे। योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या 4 / योब-42 / 2010-3916 दिनांक 13.09.2012 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

15 अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा को त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाष्यन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / योबजट-39 / 2016-1144 दिनांक-06/09/2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / जमशेदपुर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / योबजट-39 / 2016-1144 दिनांक-06/09/2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों एवं सड़क किनारे का सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव तथा नये कार्य का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	प्राककलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1 राजभवन उद्यान, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	30.000	20.000	10.000	30.000
	2 नेपाल हाउस उद्यान, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	20.000	15.000	5.000	20.000
	3 प्रोजेक्ट भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची के लिए 2 माली, 7 अकुशल मजदूर का मजदूरी भुगतान 200 सिमेंट का गमला क्रय, पूर्व से संधारित गमलों का रख-रखाव, मिट्टी, बालू, गोबर, खाद, पौधों का क्रय एवं मौसमी फूलों वाले पौधों का क्रय तथा गमलों का रंग-रोगण आदि	22.000	16.000	6.000	22.000
	4 एम०डी०आई० भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची के लिए 1 माली, 4 अकुशल मजदूर का मजदूरी भुगतान 200 सिमेंट का गमला क्रय, पूर्व से संधारित गमलों का रख-रखाव, मिट्टी, बालू, गोबर, खाद, पौधों का क्रय एवं मौसमी फूलों वाले पौधों का क्रय तथा गमलों का रंग-रोगण आदि	12.000	8.000	4.000	12.000
	5 एफ०एफ०पी० भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची के लिए 1 माली, 4 अकुशल मजदूर का मजदूरी भुगतान 200 सिमेंट का गमला क्रय, पूर्व से संधारित गमलों का रख-रखाव, मिट्टी, बालू, गोबर, खाद, पौधों का क्रय एवं मौसमी फूलों वाले पौधों का क्रय	10.000	7.000	3.000	10.000
	6 टी०ए० डिवीजन भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची के लिए 1 माली, 2 अकुशल मजदूर का मजदूरी भुगतान 200 सिमेंट का गमला क्रय, पूर्व से संधारित गमलों का रख-रखाव, मिट्टी, बालू, गोबर, खाद, पौधों का क्रय एवं मौसमी फूलों वाले पौधों का क्रय तथा गमलों का रंग-रोगण आदि	6.500	4.500	2.000	6.500
	7 ईजीनियर्स हॉस्टल भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची के लिए 2 माली, 4 अकुशल मजदूर का मजदूरी भुगतान 200 सिमेंट का गमला क्रय, पूर्व से संधारित गमलों का रख-रखाव, मिट्टी, बालू, गोबर, खाद, पौधों का क्रय एवं मौसमी फूलों वाले पौधों का क्रय तथा गमलों का रंग-रोगण आदि	11.000	7.000	4.000	11.000
योग :-		111.500	77.500	34.000	111.500
राँची वन प्रमण्डल, राँची	1 मूरी-टूंगरी पार्क, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	24.719	20.000	4.719	24.719
	2 जैव विविधता पार्क, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	37.333	27.000	10.333	37.333
	3 दीन-दयाल पार्क, मोरहाबादी का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	14.623	10.000	4.623	14.623
	4 अखेदकर पार्क, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	11.451	8.000	3.451	11.451
	5 हाईकोर्ट कॉलोनी, डोरण्डा, राँची के सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	5.134	4.134	1.000	5.134
	6 राजभवन से लेकर करम टोली चौक का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	5.134	4.134	1.000	5.134

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
7	स्टेट गेस्ट हाउस से सी०बी०आई० होते हुए राँची कॉलेज का रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	5.134	4.134	1.000	5.134
8	मुख्यमंत्री आवास से राँची कॉलेज तक का रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	5.134	4.134	1.000	5.134
9	ऑडियो विजुअल सेन्टर का रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	15.588	10.000	5.588	15.588
10	नीलगिरि हिल्स, सिल्ली का रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	8.798	5.798	3.000	8.798
11	ऑक्सीजन पार्क			0.000	
a	वित्तीय वर्ष 2016–17 में पार्क के रख—रखाव का बकाया राशि	24.000	20.000	4.000	24.000
b	वित्तीय वर्ष 2017–18 में पार्क के रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	38.043	30.043	8.000	38.043
	वर्ष 2017–18 के लिए नया निर्माण कार्य				
d	Paveing in Walkway (3200'x10')	23.750	9.500	14.250	23.750
e	Covering of Drain (West Side) with M.S. Grill	15.549	6.220	9.329	15.549
f	Cost of Drain (210'x8x4')	6.820	2.728	4.092	6.820
g	Cost of Painting of Grill of Boundary Wall	0.945	0.378	0.567	0.945
h	Drinking Water Kiosk	6.347	2.539	3.808	6.347
i	Signage - (Small & Large)				
j	Signage - 0.1 Sqm - 10 Nos				
k	Signage - 10 Nos.				
l	Creation of Topiary Park	5.000	2.000	3.000	5.000
m	Electric Bill & Purchase of HSD, Mobil etc. (LS)	3.500	1.400	2.100	3.500
N	Open air Gym	10.737	4.295	6.442	10.737
	योग :-	270.057	177.363	92.694	270.057
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1 घोड़ाबंधा पार्क, जमशेदपुर का रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	11.400	8.000	3.400	11.400
	2 वर्ष 2017–18 में घोड़ाबंधा पार्क, जमशेदपुर के लिये नये कार्य				0.000
	a Umbrella Shaped Begonvilia garden with grassing	8.000	3.200	4.800	8.000
	b Sprinkler irrigation system for existing green lawn and ornamental	5.000	2.000	3.000	5.000
	योग :-	24.400	13.200	11.200	24.400
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	1 वन भवन कैम्पस, डोरण्डा का रख—रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	3.750	3.000	0.750	3.750
	योग :-	3.750	3.000	0.750	3.750
	सकल योग :-	409.707	271.063	138.644	409.707

अपर प्रधान मुख्य वन सरकार विकास,
जारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-39/2016/1144

दिनांक -

06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं.	लिकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61611	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	7,750,000.00 रुपये सित्योत्तर लाख पचास हजार
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61612	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	17,736,300.00 रुपये एक करोड़ सित्योत्तर लाख छह सौ छह सौ छह हजार तीन सौ
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61614	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	1,320,000.00 रुपये तेरह लाख बीस हजार

योग:

26,806,300.00


क्रमिक योग:


रुपये दो करोड़ अडसठ लाख छ: हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. PEO OF JAMSHEDPUR
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61615	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	300,000.00 रुपये तीन लाख
5	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61618	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO, SOCIAL FORESTRY DIV/RANCHI	3,400,000.00 रुपये चौतीस लाख
6	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61619	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	9,269,400.00 रुपये बयानवे लाख उनहत्तर हजार चार सौ
<hr/>				
योग:				12,969,400.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड़ सित्तानवे लाख पचहत्तर हजार सात सौ			39,775,700.00
<hr/>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61621	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	1,120,000.00 रुपये ग्यारह लाख बीस हजार
8	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	61622	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार



योग:	1,195,000.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड़ नौ लाख सत्तर हजार सात सौ 40,970,700.00
	 (SHRI SATNAM SINGH AUDIT.P. DEPT. OF DIVISIONAL OFFICER RANCHI)